रजिस्ट्री सं. डी.—(डी. एन.)—73 REGISTERED NO. D(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7, 1986 (ज्येष्ठ 17, 1908)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7, 1986 (JYAISTHA 17, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	413
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	637
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गये संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	897
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . .	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	19901
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	381
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .	1013
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	91
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक . . .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—91 GI/86

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	413
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	637
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	897
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, by-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by general Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	19901
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	381
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1013
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	91
PART V—Supplement showing Statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folio Nos. Not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

लोक सभा सचिवालय

(पी० ए० सी० ब्रांच)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 16 मई 1986

सं० 4/1/86/पी० ए० सी०—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 1 मई, 1986 से आरंभ होने वाली तथा 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

लोक सभा के सदस्य :

1. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी
2. श्री जे० चौ० का राव
3. श्री अमल दत्ता
4. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़
5. श्रीमती प्रभावती गुप्ता
6. श्री जी० एस० मिश्र
7. श्री विलास मुत्तेमवार
8. श्री जी० देवराय नायक
9. श्री रामेश्वर नीखरा
10. श्री राजमंगल पाण्डे
11. श्री एच० एम० पटेल
12. श्रीमती जयंती पटनायक
13. श्री एम० सिंगरावेलीवेल
14. श्री साइमन तिग्गा
15. श्री गिरधारी लाल व्यास

राज्य सभा के सदस्य :

16. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
17. श्री के० एल० एम० प्रसाद
18. श्री गुलाम रसूल कार
19. श्री ए० के० अन्तोनि
20. श्री निर्मल चटर्जी
21. श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी
22. श्री वीरेन्द्र वर्मा

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

के० एच० छाया
मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

(एस० सी० टी० सी० ब्रांच)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 16 मई 1986

सं० 3/1/एस० सी० टी० सी०/86—लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 1 मई, 1986 से आरम्भ होकर तथा 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया गया है :—

सदस्य–लोक सभा :

1. श्री बनवारी लाल बैरवा
2. कुमारी ममता बनर्जी
3. श्री जी० भूपति
4. श्री राधाकांत डिगाल
5. श्री पृथ्वी चन्द किस्कू
6. श्री के० कुन्जाम्बु
7. श्री योगपालोयांग
8. श्री नरसिंह मकवाना
9. प्रो० मिजिनलंग कामसन
10. श्रीमती सुमति उरांव
11. डा० ए० के० पटेल
12. श्री उत्तम भाई एच० पटेल
13. श्री अमर सिंह राठवा
14. श्री बाजुबन रियान
15. श्री अनंत प्रसाद सेठी
16. श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी
17. श्री सुन्दर सिंह
18. श्री नरसिंह सूर्यवंशी
19. श्री भाऊ साहिब थोरट
20. डा० वी० वेंकटेश

सदस्य राज्य सभा :

21. श्रीमती ओमेम मायांग देवरी
22. श्री फागुनी राम
23. श्री शान्तिमय घोष
24. श्री एच० हनुमनथप्पा
25. श्री राधाकिशन मालवीय
26. श्री राम कृष्ण मजुमदार
27. श्री धर्म चन्दप्रशान्त
28. श्री थिन्डीवनम के० राममूर्ति
29. श्री सुखदेव प्रसाद
30. श्री सूरज प्रसाद

2. अध्यक्ष ने श्री कृष्णदत्त सुलतानपुरी, संसद सदस्य को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

एम० जी० अग्रवाल
मुख्य वित्तीय समिति अधिकारी

(प्राक्कलन समिति शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 16 मई 1986

सं० 4/1/ई० सी०/86—लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 1 मई, 1986 से 30 अप्रैल, 1987 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु निर्वाचित किया गया है :—

1. श्री जय प्रकाश अग्रवाल
2. श्री सरफराज अहमद
3. श्री टी० अशीर
4. श्री मनोरंजन भक्त
5. श्री वीरेन्द्र सिंह
6. श्री सैफुद्दीन चौधरी
7. श्री सोमजी भाई डामर
8. प्रो० मधु दंडवते
9. श्री एन० डेनिस
10. श्री गिरधारी लाल डोगरा
11. श्री एच० ए० डोरा
12. श्री एच० एन० नन्जे गौडा
13. श्री केयूर भूषण
14. श्री महाबीर प्रसाद
15. श्री हन्नान मोल्लाह
16. श्री अत्य मूणरान
17. श्री चिंतामणि पाणिग्रही
18. श्री राम प्यारे पनिका
19. श्री उत्तमराव पाटिल
20. श्री जगन्नाथ पटनायक
21. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
22. श्री नवीनचन्द्र रावणी
23. श्री सी० माधव रेड्डी
24. श्री पी० सेल्वेन्द्रन
25. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
26. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह
27. श्री पी० के० थुंगन
28. श्री डी० पी० यादव

श्रीमती शीला दीक्षित और श्रीमती कृष्णा साही भी समिति के लिए निर्वाचित हुई थी परन्तु 12 मई, 1986 को मंत्री नियुक्त किए जाने के कारण वे समिति की सदस्य नहीं रहीं।

अध्यक्ष ने श्री चिंतामणि पाणिग्रही को प्राक्कलन समिति (1986-87) का सभापति नियुक्त किया है।

ते० सि० अहलुवालिया, वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी

(पी० यू० शाखा)

नई दिल्ली—110001, दिनांक 16 मई 1986

सं० 4/1-पी० यू०/86—लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को 1 मई, 1986 से आरम्भ होने वाली और 30 अप्रैल, 1987 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित घोषित किया गया है :—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री नारायण चौबे
2. श्री अख्तर हुसन चौधरी
3. श्री दिनेश गोस्वामी
4. श्री हरपाल सिंह
5. श्रीमती शीला कौल
6. श्री हसभाई मेहता
7. श्री सत्य गोपाल मिश्र
8. श्री बृजमोहन मंहती
9. श्री के० आर० नटराजन
10. श्री राम भगत पासवान
11. डा० संकटा प्रसाद
12. श्री के० राममूर्ति
13. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
14. श्री चिरंजी लाल शर्मा
15. श्री वी० एस० विजयराघवन

राज्य सभा के सदस्य :

16. श्री कृष्णानन्द जोशी
17. प्रोफेसर सी० लक्ष्मन्ना
18. श्रीमती रत्न कुमारी
19. श्री संतोष कुमार साहू
20. श्री जी० वरदराज
21. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव

कुमारी सरोज खापर्डे को भी समिति का सदस्य निर्वाचित किया गया था लेकिन 12 मई, 1986 को मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति हो जाने के कारण वे समिति की सदस्य नहीं रहीं।

अध्यक्ष महोदय ने श्री के० राममूर्ति को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

रूप चन्द
वरिष्ठ वित्तीय समिति अधिकारी

संसदीय कार्य विभाग

ई दिल्ली, दिनांक 14 मई 1986

संकल्प

विषय :—सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए कार्यकारी दल।

सं० फा० 2(7)/83-अन्०० और सम्मे०—भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड (1), दिनांक 7-12-1985 में पूर्व प्रकाशित संकल्प सं० फा० 2(7)/83-अन्०० और सम्मे०, दिनांक 21 नवम्बर, 1985 के आंशिक आशोधन में, एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि सभी अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलनों की सिफारिशों के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए गठित कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार, को श्री गुलाब नबी आजाद, भूतपूर्व संसदीय कार्य राज्य मंत्री, भारत सरकार के स्थान पर नामित किया गया है।

ईश्वरी प्रसाद, सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1986

सं० यू०—13019/6/85-ए० एन० एल०—राष्ट्रपति, संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्री से संबद्ध सलाहकार समिति के निम्नलिखित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 30 जून, 1986 तक तीन माह के लिए बढ़ाते हैं :—

1. श्री नलिनी रंजन मंडल
2. श्री इब्राहिम अली हुसैन
3. श्रीमती जै देवी
4. श्रीमती गिल्ड्रेड डेविडसन

सुरजीत सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1986

सं० यू०-13019/2/85-ए० एन० एल०—इस मंत्रालय की तारीख 10-4-1986 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय से सम्बद्ध संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की परामर्शदात्री समिति के गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल को 30 जून, 1986 तक एक माह के लिए और बढ़ाते हैं।

सं० यू०-13019/2/85-ए० एन० एल०—इस मंत्रालय की तारीख 10-4-1986 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति लक्षद्वीप प्रशासक से सम्बद्ध परामर्शदात्री परिषद के गैर सरकारी सदस्यों के कार्यकाल को 30 जून, 1986 तक एक माह के लिए और बढ़ाते हैं।

सुरेन्द्र कुमार, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1986

के नियम

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1986

सं० 9/3/85-के० से० (11)— गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1986 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों (तथा अन्य सेवाओं/पदों के लिए, जो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में सम्मिलित किए जाएंगे) में अस्थाई रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI

(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, ग्रेड-II

(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड

(v) भारत के निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

(vi) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(vii) महानिरीक्षक, भारत निश्चस्त सीमा पुलिस दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद

(viii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अधिमान आयोग द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाएंगे जो टंकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

3. (1) भूतपूर्व सैनिक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने संघ की सशस्त्र सेवाओं में, जिनके अन्तर्गत भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनायें भी शामिल हैं, किन्तु जिनके अन्तर्गत आसाम राईफल्स, सेना सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग बल, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना नहीं आते, शपथ ग्रहण करने के पश्चात् कम से कम छह मास की निरन्तर अवधि तक किसी रैंक में (चाहे योद्धा के रूप में या गैर-योद्धा) के रूप में की है, और

(क) जिसे/उसके अपने अनुरोध पर या कदाचार अथवा अदक्षता के कारण पदच्युति या बर्खास्तगी के कारण के अलावा अन्य किसी रूप में निर्मुक्त कर दिया गया है, अथवा ऐसी निर्मुक्ति तक के लिए रिजर्व को स्थानान्तरित कर दिया गया है, या

(ख) जिसे अथवा पूर्वोक्त निर्मुक्त या रिजर्व को स्थानांतरित किए जाने के लिए हकदार बनने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छह मास सेवा करनी है; या

(ग) जिसे संघ की सशस्त्र सेनाओं में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसके अपने ही अनुरोध पर निर्मुक्त कर दिया गया है।

(II) संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित (संघ राज्य क्षेत्र), आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति (संघ राज्य क्षेत्र), आदेश, 1951 (अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जन जाति (सूचियां) (संशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (दादरा और नागर हवेली (अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान गोआ, दमन और दीव (अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978

(III) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से सम्बद्ध व्यक्ति से है :—

(क) बहरे : बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो, उच्च स्तर के साफ बोलने पर वे न तो बिल्कुल सुन सकते हों और न ध्वनि को समझ सकते हों, इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (गम्भीर रूप से असमर्थ) 90 डेसिबल से अधिक नहीं सुन सकते हों अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते हों।

(ख) शारीरिक रूप से विकलांग :— शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शारीरिक दोष हो अथवा अंग-विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों में सामान्यरूप से बाधा पैदा होती हो।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में विहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा, या

(ग) भूटान की प्रजा, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थाई रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों—केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथोपिया और वियतनाम से आया हो।

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ.) से सम्बंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) तथा (घ) से संबंधित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड (VI) में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है जब उसे वह मंत्रालय विभाग आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे जो उस पद से सम्बद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो।

5 (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि पहली अगस्त, 1986 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरी 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1961 से पहले और पहली अगस्त, 1968 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो उनकी सशस्त्र सेना की कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी : 1 -भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने उनको भूतपूर्व सैनिकों के रूप में दिए गए लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा में सरकारी रोजगार में पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है वे आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी : 2--उपरोक्त नियम 5 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आवाहन पर सेवा (काल आफ सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

टिप्पणी : 3- अरक्षण की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया होगा तथा अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्राप्त हकदारी को साबित करने की स्थिति में होगा कि वह अपने कार्य के पूरा होने की छह मास की निश्चित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा। (इस प्रयोजन के लिए परीक्षा की तारीख तनिक भी प्रासंगिक नहीं है)

(ग) इन सभी मामलों में ऊपरलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :--

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सदाकथित विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(vi) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया युगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो।

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(ix) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही और शांतिकाल दोनों के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(x) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हो, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xi) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा-सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xiii) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलस./भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिये अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xiv) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों व जन जातियों के उन उम्मीदवारों के

लिए, जो शारीरिक रूप से विकलांग भी है, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वाली 10 वर्ष की आयु-छूट उन्हें खण्ड (1) के अन्तर्गत मिलने वाली आयु-छूट के अतिरिक्त होगी।) और

(xv) ऐसी विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिकतौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुर्नविवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक)।

(xvi) उन व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिक से अधिक छह वर्ष की छूट है जो पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1985 की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में रहे हों। यह छूट उसे (क) जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में वह साधारणतः रहा हो अथवा (ख) असम सरकार द्वारा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

(ख) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में लिपिकों/सहायकों/संकलकों/भंडार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1-8-86 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा और (2) भारतीय विदेश सेवा (ख) (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठे रहे हैं।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु-सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकण के पदों पर नियुक्त हैं और 1-8-86 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु सीमा में सैनिक-लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में हैं, अर्थात् उनको जो तारीख से 2 अगस्त, 1986 से पहली अगस्त 1987 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं, ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं है, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(छ) उन टेलीफोन आपरेटरों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, जो दिनांक पहली अगस्त, 1986 को विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत् जारी रहेगी।

(ज) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4-7-83 के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011/15/81-स्था० (घ) के अनुसार उन स्टाफ कार ड्राईवरों के लिए 35 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, जो अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिये शैक्षिक रूप से अर्हता रखते हों, और जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।

टिप्पणी : 1—डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई मानी जाएगी।

टिप्पणी : 2—यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5(ख) नियम 5(ङ) और नियम 5(क) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन-पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्याग पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए, तो वह पात्र बना रहेगा।

टिप्पणी : 3—किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

टिप्पणी : 4—विदेश मंत्रालय में भाग ले रहे कार्यालयों/विभागों में काम कर रहा कोई स्थाई अथवा अस्थाई टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे।

जो टेलीफोन आपरेटर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्यथा पात्र हों। यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य असंवर्ग पद या स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है, यदि उस समय टेलीफोन आपरेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

टिप्पणी : 5—जहां तक इस नियम की उक्त श्रेणी (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह परीक्षा अर्हक होगी प्रतियोगितात्मक नहीं। उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा। जो इस परीक्षा का एक भाग है। उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्ती टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी। यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे।

आयोग द्वारा सिफारिश किया गया टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा-ख ग्रेड VI में लिया जाएगा।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

6. भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा का कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक पास की होनी चाहिए।

टिप्पणी : 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिस के पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षिणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी : 2—कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

7. (1) जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति को विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार है तथा ऐसा करने के अन्य कारण है और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दें।

2. जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा ग्रुप बी- VI की नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थायी या अस्थाई रूप से सरकारी नौकरी में हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना होगी।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा व्यक्तियों/कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबोलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसे पास आयोग का प्रवेश-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

12. सशस्त्र सेना से निकले भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों से निर्धारित शुल्क देना होगा।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो जबकि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये हैं जिनमें तथ्यों का बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोगी (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो,

15 परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको छूट मिल जाएगी लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर अपने श्रेष्ठता-क्रम में रखा जाएगा तथा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जायेंगे उनकी अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिये सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में लिये जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग सामान्य स्तर में रियायत दे कर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

16. परीक्षा—परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र देते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा फल के संबंध में उससे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

एच० जी० मण्डल, अवर सचिव,

परिशिष्ट-I

परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात् भाग-I लिखित परीक्षा और भाग-II टंकण परीक्षा।

भाग-I लिखित परीक्षा:—लिखित परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए अनुमत समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

प्रश्न पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	अनुमत समय
I	सामान्य बुद्धिमत्ता	50	दो घण्टे
II	अंग्रेजी भाषा	50	
III	संख्यात्मक अभिरुचि	50	
IV	लिपिकीय आम रुचि	50	
	कुल	200	

टिप्पणी:— सभी चारों विषयों के प्रश्न "वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रकार" के होंगे। उम्मीदवारों द्वारा सभी चारों विषयों में, अलग-अलग रूप में, अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोग अपने विवेकानुसार सभी चारों विषयों की परीक्षा के न्यूनतम अर्हांक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

भाग-II: टंकण परीक्षा:—टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर) का एक 10 मिनट की अवधि का पेपर होगा।

2. टंकण परीक्षा अर्थात परीक्षा की योजना के भाग II में बैठने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो उपर उल्लिखित चारों विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे।

3. परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे। (यह विदेश मंत्रालय में नियुक्ति टेलीफोन आपरेटरों के मामले में लागू नहीं होता)।

टिप्पणी : I— जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कोई आवधिक टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनिट की गति से पहले ही पास कर रखी हो उन्हें इस परीक्षा की टंकण परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख अवश्य सूचित करनी होगी।

टिप्पणी : 2— जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है, उसे अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वानुमोदन से इस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब टंकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से (निर्धारित प्रपत्र में) एक प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करे जिसमें उसकी किसी शारीरिक अशक्तता के कारण उसे टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

4. उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाइप मशीन लानी होगी। स्टैन्डर्ड साइज के रोलर वाली मशीन टाईप के लिए काम दे सकेगी।

5. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में।

6. हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण परीक्षा में बैठने का विकल्प देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में ऐसा करने की अपनी इच्छा निर्दिष्ट करनी चाहिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वह अंग्रेजी में टंकण-परीक्षा में बैठेगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा और विकल्प में कोई परिवर्तन करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार ने अपना विकल्प दिया हो, उस से इतर भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने पर कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

7. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया जाएगा।

8. उम्मीदवार प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने प्रश्न पत्रों को लिखने के लिए किसी लेखक की सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों में अर्हांक निर्धारित करेगा।

अनुसूची

भाग-I लिखित परीक्षा में सम्मलित विषयों का पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम

1. सामान्य बुद्धिमत्ता —इस परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न अनुदेशों को समझने, संबंध, समानताएं, सुसंगति, निर्धारित करने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों पर आधारित होंगे।

2. अंग्रेजी भाषा—इस परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य गठन, पर्यायवाची, विलोम आदि के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किए जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा।

3. संख्यात्मक अभिरुचि—इस परीक्षा में प्रश्नों का उद्देश्य संख्यात्मक गणनाओं की योग्यता का पता लगाना है। यह प्रश्नपत्र गणित की मूल अवधारणाओं जैसे कि योग, अंतर, भाग, गुणा, प्रतिशतता आदि पर आधारित होगा।

4. लिपिकीय अभिरुचि:—यह परीक्षा उम्मीदवारों की प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि की जांच करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह ऐसी योग्यता है जिससे नामों और संख्याओं के युग्मों की समानता तथा भिन्नता का पता चलता है। लिपिकीय अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों से प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि के अलावा फाइलिंग संक्षेपण सूचक तैयार करने आदि जैसे मेमो ढंग के कार्यालय कामकाज निपटाने की योग्यता की भी जांच की जाएगी।

परिशिष्ट–II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

1. उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560।
2. अवर श्रेणी ग्रेड रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-द० रो०-8-390-10-400।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति इस अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन रहेंगे सरकार द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यकर्ता कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली भी हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस संबंध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद श्रेणी "ब" के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 50 वर्ष होनी चाहिए।

7. जिन लोगों को नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्ति अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 से जो समय-समय पर बने हैं, संचालित होती है।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

उच्च श्रेणी लिपिक रु० 330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560

अवर श्रेणी लिपिक रु० 260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ब" के लिए ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं :—

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू और अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर की मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को, उसी प्रकार की सुविधाएं हैं जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों को किन्तु चिकित्सा सुविधाएं उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनकी मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख)–ग्रेड–VI

वेतनमान: रु 260-6-290-द० रो०-6-320-द० रो०-8-390-10-400।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–VI में नियुक्त किए गए अधिकारी, उक्त ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 330-10-380-द०रो०-12-500-द० रो०-15-560 के वेतनमान के ग्रेड–V में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–V अधिकारी उक्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 के वेतनमान में अपनी पारी पर उक्त सेवा के ग्रेड–4 में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड–VI के अधिकारी, रु० 330-10-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 के वेतनमान में उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों का सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा के उप-संवर्ग में आशुलिपिकों के ग्रेड–III में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. ग्रेड–VI के ऐसे अधिकारी, जो स्नातक हैं, रु० 425–15–500–द० रो०–15–560–20–700–द० रो०–25–800 के वेतनमान में, उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भा० वि० से० (ख) के उप-संवर्ग में सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो मुख्यालय पर भारत के किसी भी स्थान में अथवा विदेश में जहां नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उन्हें तैनात किया जाता है, किसी पद पर सेवा करनी होगी।

6. विदेश सेवा के दौरान, भा० वि० से० (ख) के अधिकारियों को, उनके मूल वेतन के अतिरिक्त, उन दरों पर विदेश भत्ता मंजूर किया जाएगा जो संबंधित मूल्कों के निर्वाह व्यय आदि के आधार पर समय समय पर मंजूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम 1961 के अनुसार, जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों के लिए लागू है, विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर निःशुल्क आवास।

(ii) सहयोजित चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(iii) भारत में किसी निकट संबंधी, जिसका निर्धारण सरकार करेगी, की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी जैसी संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी की सेवा के दौरान ड्यूटी स्थान से भारत में आने और वापस जाने संबंधी अधिकतम दो बार वापसी हवाई यात्रा व्यय।

(iv) कतिपय शर्तों पर, भारत में अध्ययन कर रहे 6 से 22 वर्ष की आयु वाले बच्चों को छुट्टी के दौरान अपने माता-पिता के पास जाने के लिए वार्षिक वापसी हवाई किराया।

(v) कतिपय शर्तों पर, अधिकारी के विदेशों में तैनाती स्थान पर अध्ययन कर रहे 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले अधिकतम दो बच्चों के शिक्षा संबंधी व्यय की सरकार पूरा करती है।

(vi) उपस्कर भत्ता–रुपए 1,750/– विदेश में प्रति तैनाती।

(vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारी और उसके परिवार के लिए स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय।

7. सेवा में नियुक्ति, स्थायीकरण और वरिष्ठता संबंधी शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती संवर्ग, वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के संगत उपबंधों और किन्हीं अन्य नियमों अथवा आदेशों जिन्हें सरकार बाद में बनाए, द्वारा भी शासित होंगी।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

उच्च श्रेणी ग्रेड:—रु० 330–10–380 द० रो०–12–500 द० रो०–15–560।

अवर श्रेणी ग्रेड:—रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 260–6–290–द० रो०–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(च) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में निम्न श्रेणी लिपिक का वेतनमान रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 है।

इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर पदों पर नियुक्त उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन होंगे।

(छ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग

1. आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान रु० 260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 है।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के० स० लि० से० में शामिल नहीं है।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 5 वर्ष तथा निर्वाचन आयोग में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(औद्योगिक विकास विभाग)

तकनीकी विकास महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० सी० पी० 9(7)/86/डी० पी०—भारत सरकार ने इस संकल्प के जारी करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए कार्बन तथा ग्रेफाइट उत्पादों के उद्योग की विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है, जिसकी संरचना निम्न प्रकार से है :—

1. श्री एन० विश्वास, अध्यक्ष
उप-महानिदेशक
तकनीकी विकास महानिदेशालय
नई दिल्ली–110011।

2. श्री जो० ए० मनिआर, सदस्य
मै० ग्रेफाइट इंडिया लि०
31, चौरंगी रोड,
कलकत्ता।

3. श्री पी० सी० गोहनका,
मै० असम कार्बन प्रोडक्टस् लि०
त्रिकुची, गोहाटी,
असम।

4. श्री के० रामचन्द्रन, सदस्य
मै० इंडियन अल्युमिनियम कं० लि०,
6, मिडल्टन स्ट्रीट,
कलकत्ता ।

5. श्री आर० आर० शास्त्री, ,,
मै० इंडियन आयल कारपोरेशन लि०,
262, डा० एन्नी बेसेन्ट रोड,
प्रभा देवी, बंबई ।

6. श्री आर० जी० रामगढ़िया, ,,
मै० पेट्रो कार्बन एण्ड केमिकल्स कं० लि०,
27, आर० एन० मुखर्जी रोड,
कलकत्ता ।

7. श्री एन० श्रीनिवासन, ,,
मै० यूनियन कारबाइड इंडिया लि०,
1, मिडल्टन स्ट्रीट,
कलकत्ता ।

8. श्री पी० ओबुल रेड्डी, ,,
मै० इण्डो मटसुशिटा कार्बन कं० लि०,
609, माउन्ट रोड,
मद्रास- 600006 ।

9. श्री ओ० एस० चौधरी, ,,
मै० हिन्दुस्तान अल्युमिनियम
कारपोरेशन लि०,
पी० आ० रेनुकोट,
मिरजापुर (यू० पी०) ।

10. श्री एस० के० चक्रवर्ती, ,,
निदेशक,
विकास आयुक्त, लघु उद्योग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

11. श्री एम० पी० एस० प्रकाश राव,
सचिव,
अखिल भारतीय ग्रेफाइट कृसिबल्स
मैनुफैक्चर्स एसोशिएसन,
राजमुंदरी,
आंध्र प्रदेश ।

12. श्री केशव चन्द्र, ,,
भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र,
बम्बई ।

13. श्री आर० एल० सेठ/डा० ओ० पी० बहल, ,,
नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी,
हिलसाइड रोड, नई दिल्ली ।

14. श्री रवि झुनझुनवाला, ,,
40-41, कम्युनिटी सेंटर,
न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी,
नई दिल्ली ।

15. श्री बी० हिम्मत सिंह, ,,
मै० इंडिया कार्बन लि०,
नूनमाटी, गोहाटी,
असम ।

16. श्री एस० एस० ग्रोवर सदस्य सचिव
औद्योगिक सलाहकार, (रसायन)
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. उद्योग के विकास की वर्तमान अवस्था पर विचार करना एवं उसके त्वरित विकास के लिए अभ्युपायों के बारे में सिफारिश करना ।

2. उद्योग की विभिन्न आवश्यकताओं का राज्यवार/क्षेत्रवार अध्ययन करना तथा बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के बारे में सुझाव देना ।

3. उत्पाद के किस्म तथा प्रौद्योगिकी के उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना ।

4. विभिन्न संस्थानों में उपलब्ध अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को बढ़ावा देना ।

5. जिस सीमा तक मानकीकरण कर लिया गया है उसकी जांच करना तथा भारतीय मानक संस्थान के परामर्श से और अधिक मानकीकरण में विशिष्ट कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना ।

6. देशी और आयातित दोनों प्रकार की मशीनरी आदि की आवश्यकता पर विचार करना ।

7. कच्चे माल और ऊर्जा निवेश की आवश्यकता एवं उनके संरक्षण/प्रतिस्थापन पर विचार करना ।

8. वर्तमान एककों का आधुनिकीकरण करना ।

9. आयात प्रतिस्थापन/निर्यात संवर्धन ।

10. तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता और उनको प्रशिक्षण देना ।

11. कोई अन्य उपयुक्त विषय ।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

दिनांक 25 अप्रैल 1986

संकल्प

सं० आई० एम०-1/72(21)/86—भारत सरकार ने 17 दिसम्बर, 1985 से दो वर्ष की अवधि के लिए अनुबन्ध-1 में दी गई संरचना के अनुसार पंप उद्योग की विकास नामिका का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है ।

नामिका के विचारार्थ विषय अनुबंध-II में दिए गए हैं ।

आदेश :

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

के० सी० गंजवाल, निदेशक (प्रशासन)

अनुबन्ध-I

विद्युत चालित पम्प उद्योग के लिए पुनर्गठित विकास नामिका की संरचना :

1. श्री आर० एन० बसु अध्यक्ष
उप-महानिदेशक,
तकनीकी विकास महानिदेशालय ।

2. उप-निदेशक (मकैनिकल इंजीनियरी) सदस्य
विकास आयुक्त, लघु उद्योग,
निर्माण भवन, नई दिल्ली ।

3. निदेशक (मकैनिकल इंजी०) ,,
भारतीय मानक संस्थान,
मानक भवन,
9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002 ।

4. प्रतिनिधि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विकास, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110016। — सदस्य

5. प्रतिनिधि, न्यूक्लीयर पावर बोर्ड, परमाणु ऊर्जा विभाग, होमी भाभा मार्ग, कोलाबा, बंबई–400005। — ,,

6. प्रतिनिधि, मैसर्स थर्मल पावर कारपोरेशन, कारपोरेट आफिस, 62–69, एन० टी० पी० सी० स्वायर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019। — ,,

7. एस० डी० शाह, वरिष्ठ विशेषज्ञ, (पम्प) मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लि०, भीकाजी कामा प्लेस, आर० के० पुरम, नई दिल्ली। — ,,

8. श्री सी० बी० शाहा, निदेशक (मार्केटिंग) मैं० के० एस० बी० पम्प्स लि०, पिम्परी, पुणे–411018। — ,,

9. श्री ए० के० पालित, प्रबंधक (विपणन) मैं० वरथींगटन पम्प्स इंडिया लि०, कलकत्ता। — ,,

10. श्री के० मुखाई, महाप्रबन्धक, मैं० माथर एंड प्लाट लि०, बम्बई, उद्योग भवन, 29, वालचंद हीराचंद मार्ग। — ,,

11. श्री आर० रामाचन्द्रन, निदेशक, मैसर्स टेक्समो इण्डस्ट्रीज, कोयम्बतूर। — ,,

12. श्री वी० एम० हार्डिकार, मैसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि०, किर्लोस्कर वाड़ी। — ,,

13. श्री एस० के० सिन्हा, प्रबन्धक, मसर्स भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लि०, नैनी, इलाहाबाद, यू० पी०। — ,,

14. मैसर्स विजय मानकर, मैसर्स मानकर ब्रादर्स एंड कंपनी, प्रा० लि०, बम्बई। — ,,

15. श्री ए० आर० भिरंगी, निदेशक (तकनीकी) मैसर्स रोहिणी इंजीनियर्स एंड फाउन्डर्स, मिराज, महाराष्ट्र। — ,,

16. श्री जे० गौरी शंकर, मैसर्स वैस्ट इंजीनियर्स, कोयम्बतूर। — सदस्य

17. श्री डी० के० अरोड़ा, प्रबन्धक (अ० तथा वि०), मैसर्स ज्योति लि०, बड़ौदा। — ,,

18. अध्यक्ष, भारतीय पम्प निर्माता समिति, 105, ककड़ चैम्बर्स, पहली मंजिल, 132, डा० अन्नी बेसेन्ट रोड, वर्ली, बम्बई–400018। — ,,

19. अध्यक्ष, तकनीकी समिति, भारतीय पम्प निर्माता समिति। — ,,

20. अध्यक्ष, निर्यात समिति, भारतीय पम्प निर्माता समिति। — ,,

21. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लघु पंप निर्माता समिति गाजियाबाद, उ० प्र०। — ,,

22. विकास अधिकारी (इंजी०), तकनीकी विकास महानिदेशालय। — सदस्य–सचिव

अनुबन्ध–II

पुनर्गठित विकास नामिका के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :

1. उद्योग के वर्तमान विकास स्तर एवं भावी व्यापक दृष्टिकोण पर विचार करना और उसके त्वरित विकास के लिए उपायों के बारे में सिफारिश करना।

2. पम्पों के विभिन्न प्रकार से प्रयोग किए जाने हेतु वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर का मूल्यांकन करना और विशेषतः विश्वसनीयता, परिचालन क्षमता, ऊर्जा उपभोग एवं परिष्कृत उत्पादिता के लिए भावी प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना।

3. जिस सीमा तक मानकीकरण हुआ है उसकी जांच करना और पंपों के आकारों, कलपुर्जों को और अधिक युक्तिसंगत बनाने के लिए प्रमुख उपभोक्ताओं तथा भारतीय मानक संस्थान के साथ परामर्श करके विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना।

4. उद्योग का भावी विकास कर पाने की दृष्टि से विगत तथा वर्तमान आयातों के आंकड़ों का एकीकरण एवं संकलन करने के बारे में सिफारिश करना।

5. अनुसंधान डिजाइन तथा विकास के विशिष्ट क्षेत्रों का मूल्यांकन करना तथा सिफारिश करना।

6. उद्योग के विकास से सम्बद्ध कोई अन्य पहलू।

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 1986

संकल्प

सं० 26012-(1)/85-मा० (एस०)—तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प सं० 26011/1/77-मा० (टी०-1) दिनांक 24 जुलाई, 1978 में, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, आंशिक संशोधन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि राज्य मंत्री (कृषि और सहकारिता) को तत्काल से कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया जाए।

बी० सा० शर्मा, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई, 1986

सं० एफ० 2-6/86-सा० एच०-6—नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम 3(VII) के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रो० एस० धवन, जिन्होंने त्याग पत्र दिया है, के स्थान पर प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया है।

मन मोहन सिंह, संयुक्त सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

(PAC BRANCH)

New Delhi-110001, the 16th May 1986

No. 4/1/86/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 1986 and ending on the 30th April, 1987 :

Members of Lok Sabha

S/Shri

1. E. Ayyapu Reddy
2. J. Chokka Rao
3. Amal Datta
4. Ranjit Singh Gackwad
5. Shrimati Prabhawati Gupta
6. G. S. Mishra
7. Vilas Muttemwar
8. G. Devaraya Naik
9. Rameshwar Neekhra
10. Shri Rajmangal Pande
11. H. M. Patel
12. Shrimati Jayanti Patnaik
13. Shri S. Singaravadivel
14. Shri Simon Tigga
15. Shri Girdhari Lal Vyas

Members of Rajya Sabha

S/Shri

16. Bhuvnesh Chaturvedi
17. K. L. N. Prasad
18. Ghulam Rasool Kar
19. A. K. Antony
20. Nirmal Chatterjee
21. M. S. Gurupadaswamy
22. Virendra Verma

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri E. Ayyapu Reddy as Chairman of the Committee.

K. H. CHHAYA, Chief Financial Committee Officer

(SCTC BRANCH)

New Delhi-110001, the 16th May 1986

No. 3/1/SCTC/86.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term beginning on the 1st May, 1986 and ending on the 30th April, 1987.

Members—Lok Sabha

1. Shri Banwari Lal Bairwa
2. Kumari Mamata Banerjee
3. Shri G. Bhoopathy
4. Shri Radhakanta Digal
5. Shri Prithiwi Chand Kisku
6. Shri K. Kanjambu
7. Shri Wangpha Lowang
8. Shri Narsinh Makwana
9. Prof. Meijinlung Kamson
10. Shrimati Sumati Oraon
11. Dr. A. K. Patel
12. Shri U. H. Patel
13. Shri Amarsinh Rathawa
14. Shri Baju Ban Riyan
15. Shri Ananta Prasad Sethi
16. Shri K. D. Sultanpuri
17. Shri Sunder Singh
18. Shri Narsing Suryavansi
19. Shri Bhausaheb Thorat
20. Dr. V. Venkatesh

Members—Rajya Sabha

S/Shri

21. Shrimati Omem Moyong Deori
22. Faguni Ram
23. Shantimoy Ghosh
24. H. Hanumanthappa
25. Radhakishan Malaviya
26. Ramkrishna Mazumder
27. Dharam Chander Prashant
28. Thindivanam K. Ramamurthy
29. Sukhdev Prasad
30. Suraj Prasad

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri K. D. Sultanpuri, M.P. as the Chairman of the Committee.

M. G. AGRAWAL, Chief Legislative Committee Officer

(ESTIMATES COMMITTEE BRANCH)

New Delhi-110001, the 16th May 1986

No. 4/1/EC/86.—The following Members of Lok Sabha have been elected to serve on the Committee on Estimates for the term beginning on 1 May, 1986 and ending on 30th April, 1987 :—

S/Shri

1. Jai Prakash Agarwal
2. Sarfaraz Ahmad
3. T. Basheer
4. Manoranjan Bhakta
5. Birinder Singh
6. Saifuddin Chowdhary
7. Somjibhai Damor
8. Prof Madhu Dandavate
9. N. Dennis

S/Shri

10. G. L. Dogra
11. H. A. Dora
12. H. N. Nanje Gowda
13. Keyur Bhushan
14. Mahabir Prasad
15. Hannan Mollah
16. Ajay Mushran
17. Chintamani Panigrahi
18. Ram Pyare Panika
19. Uttamrao Patil
20. Jagannath Patnaik
21. Balwant Singh Ramoowalia
22. Navinchandra Ravani
23. C. Madhav Reddy
24. P. Selvendran
25. Prof Nirmala Kumari Shaktawat
26. Satyendra Narain Sinha
27. P. K. Thungon
28. D. P. Yadav

Shrimati Sheila Dikshit and Shrimati Krishna Sahi were also elected to the Committee but they ceased to be members of the Committee on their appointment as Minister on 12 May, 1986.

The Speaker has appointed Shri Chintamani Panigrahi as the Chairman of the Committee on Estimates (1986-87).

T. S. AHLUWALIA, Senior Financial Committee Officer

(P. U. BRANCH)

New Delhi-110001, the 16th May 1986

No. 4/1-PU/86.—The following members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been declared as duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term beginning on 1 May, 1986 and ending on 30 April, 1987 :—

Members of Lok Sabha

S/Shri

1. Narayan Choubey
2. Akhtar Hasan Chowdhry
3. Dinesh Goswami
4. Harpal Singh
5. Shrimati Sheila Kaul
6. Haroobhai Mehta
7. Satyagopal Misra
8. Brajamohan Mohanty
9. K. R. Natarajan
10. Ram Bhagat Paswan
11. Dr. Sankta Prasad
12. K. Ramamurthy
13. K. Ramachandra Reddy
14. Chiranji Lal Sharma
15. V. S. Vijayaraghavan

Members of Rajya Sabha

S/Shri

16. Krishna Nand Joshi
17. Prof. C. Lakshmanna
18. Shrimati Ratan Kumari
19. Santosh Kumar Sahu
20. G. Varadaraj
21. Jagdambi Prasad Yadav

Miss Saroj Khaparde was also elected to the Committee but she ceased to be a member of the Committee on her appointment as Minister on 12 May, 1986.

The Speaker has been pleased to appoint Shri K. Ramamurthy as Chairman of the Committee.

RUP CHAND, Senior Financial Committee Officer

DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 14th May 1986

RESOLUTION

Subject :—*Working Group for examining the implementation of the Recommendations of all the All India Whips' Conferences.*

No. F.2(7)/83-R&C.—In partial modification of the resolution No. F.2(7)/83-R&C dated the 21st of November, 1985, published in the Gazette of India, Part I, Section (1), dated 7-12-1985, it is hereby notified that Smt. Sheila Dikshit, Minister of State for Parliamentary Affairs, Government of India, has been nominated as a member of the Working Group constituted to go into the implementation of the recommendations of all the All India Whips' Conferences, in place of Shri Ghulam Nabi Azad, former Minister of State for Parliamentary Affairs, Government of India.

ISHWARI PRASAD, Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 15th May 1986

No. U.13019/6/85-ANI.—The President is pleased to extend the tenure of the following Members of the Advisory Committee for the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Minister of Home Affairs for a further period of three months upto 30th June, 1986 :

1. Shri Nalini Ranjan Mondal.
2. Shri Ebrahim Ali Hussain.
3. Smt. Jai Devi.
4. Smt. Mildred Davidson.

SURJIT SINGH, Desk Officer.

New Delhi-110001, the 15th May 1986

No. U.13019/2/85-ANI.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated the 10th April, 1986, the President is pleased to extend the tenure of the non-official members of the Advisory Committee of the Union Territory of Lakshadweep associated with the Minister of Home Affairs for a further period of one month upto 30th June, 1986.

No. U-13019/2/85-ANI.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated the 10th April, 1986, the President is pleased to extend the tenure of non-officials members of the Advisory Council associated with the Administrator, Lakshadweep for a further period of one month upto 30th June, 1986.

SURENDRA KUMAR, Director.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

RULES FOR CLERKS' GRADE EXAMINATION, 1986

New Delhi-1, the 7th June 1986

No. 9/3/85-CSII.—The Rules for Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, Department of Personnel and Training, in 1986 for the purpose of filling temporary vacancies in the following service/posts (and for such other service/posts as may be included by the Commission in their Advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lower Division Grade.

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerks in the Election Commission of India.

(vi) Posts of Lower Division Clerks in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi.

(vii) Posts of Lower Division Clerks in the Office of the Inspector General of Indo-Tibetan Border Police, Delhi.

(viii) Posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission.

Preference in respect of services/posts mentioned above will be invited by the Commission from the candidate at the time of submitting their applications. A candidate may, however, change the order of preferences once before the date of the written examination.

2. Reservation will be made for candidate who are ex-serviceman, for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and for physically handicapped persons in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

3. (i) Ex-serviceman means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as a non-combatant), in the Armed Forces of the Union, including the Armed Forces of the former Indian States, but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, Central Reserve Engineering Force. Lok Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation, and

(a) has been released, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(b) has to serve for not more than six months for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid, or

(c) has been released at his own request, after completing five years service in the Armed Forces of the Union.

(ii) Scheduled Castes/Scheduled Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) order 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) order 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) order 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Schedeuled Tribes Order, 1962. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1978, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

(iii) physically handicapped person means a person belonging to any of the following categories :—

(a) *The Deaf* : The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear and understand sound at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) of total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically handicapped* : The Orthopaedically handicapped are those who have a physical defect or deformity which causes an interference with the normal functioning of the bones, muscles and joints.

The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in appendix I to the Rules. The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. A candidate must be either :

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who come over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire, Ethopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Ministry/Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st August, 1986 i.e. he must have been born not earlier than 2nd August, 1961 and not later than 1st August, 1968.

(b) Ex-servicemen fulfilling the conditions laid down in para 3(i) above shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed prescribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-serviceman.

Note I.—Ex-serviceman who have already joined Government job in civil side after availing of the benefits given to them as ex-serviceman for their re-employment are not eligible to the age concession.

Note II.—The period of "Call up Service" of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service concerned in the Armed Forces for purpose or Rule 5(b) above.

Note III.—For any seriveman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service, the status of ex-serviceman and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence form the competent authority that he would be released/discharged from the Armed Forces within the stipulated period of six months on completion of his assignment. (The date of the examination is not relevant for this purpose).

(c) The upper age limit in all these cases will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate or a prospective repatriate of India in origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and is also a bona-fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania;

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a bona-fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, or in peace time & released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area or in a peace time and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xi) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities in 1971 and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam) and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xiv) upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, (for candidates belonging to SC or ST) who are physically handicapped the maximum relaxation of ten years permissible for physically handicapped persons shall be in addition to the age relaxation provided in terms of Column (i);

(xv) upto the age of 35 years (upto 40 years for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of Widows divorced women and women judicially separated from their husbands, who are not remarried.

(xvi) Upper age limit is relaxable upto a maximum of six years for those persons who have ordinarily resided in the state of Assam during the period from 1st January, 1980 to 15th August, 1985. This is subject to the production of a certificate from (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he/she ordinarily resided or (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Assam.

(d) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks/Assistant Compilers/Store-keepers in the various Departments/Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks as on 1-8-1986 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service; (ii) Indian Foreign Service (B); (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service and to persons who are ex-servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-servieman.

(e) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous service as Hindi T Clerks/Hindi Typists on 1-8-1986 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for only vacancies in the Central Secretariat Clerical Service.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last years of their colour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period 2nd August, 1986 to 1st August, 1987. Such candidates are not entitled to any concession in fee.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations, which are not reserved for ex-servire-men.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1-8-1986 and who continue to be so employed.

(h) Upper age limit is also relaxable upto 35 years for the Staff Car Drivers who are educationally qualified for appointment to the post of LDCs and who have not less than 3 years of continuous service in the grade, in accordance with DP&AR's O.M. No. 22011/15/81-Estt.(D) dated 4-7-1983.

Note :1 Services rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate offices of Postal Department shall be trerated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rule 5(d) above.

Note : 2 The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(d), Rule 5(c) and Rule 5(g) above, is liable to be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by this Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3 : A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination.

NOTE 4 : Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Office/Department participating in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators, who are an deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre post or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE 5 : The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned. They will not be required to appear at the typewriting test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operator recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S. (B) Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to Matriculation Certificate for entry into services.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justified his admission to the examination.

7. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or temporary capacity may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a 'No Objection Certificate' from his office before being allowed to take the Typewriting Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE : In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility of otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidates will be admitted to the examination unless he holds certificate of admissible from the Commission.

12. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :—

(i) Obtaining support for his candidature by any means, for

(ii) Impersonating.

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or supressing materials information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall, or

(viii) misbehaving in the examination hall, or

(ix) attempting to commit, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, as liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or Selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services/posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks final awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the basis of results of the examination.

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and the Physically Handicapped can not be filled on the basis of General standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Physically Handicapped may, to the extent who number of vacancies reserved for the Scheduled Castes the Scheduled Tribes and the Physically Handicapped can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the basis of results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts at the time of this application.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at its discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding result.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/Post.

H. G. MANDAL, Under Secy. (CS)

APPENDIX-I

The Examination will consist of two Parts, viz. Part I Written Examination, and Part II Typewriting Test.

PART I—*Written Examination* : The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each test will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum marks	Time allowed
1	2	3	4
I.	General Intelligence	50	Two Hours
II.	English Language	50	
III.	Numerical Aptitude	50	
IV.	Clerical Aptitude	50	
		200	

NOTE : The questions in all the four tests will be "Objective—Multiple-Choice Type". Candidates will be required to qualify in each of the four tests separately. The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in each of the four tests.

PART II : *Typewriting Test* : The typewriting test will consist of one Paper on Running Matter of 10 minutes duration.

2. Only those candidates who qualify in all the four tests and attained at the written examination a minimum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, i.e. Part II of the scheme of Examination.

3. Only such candidates as qualify at the Typewriting Test at a speed of not less than 30 words per minutes in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 of the rules for the Examination. (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the Ministry of External Affairs).

NOTE 1 : Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute or Secretarial Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Select on Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Numbers and the date of the Typewriting Test which they have passed.

NOTE 2 : A candidate who claims to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physically disability, may with the prior approval of the Chairman, Staff Selection Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such Test, provided such a candidate, when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority i.e. the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability.

5. Candidates will be required to bring their own Typewriter for the Typewriting Test. A typewriter with the standard size roller will do for the test.

6. Candidates are allowed the option to take the typewriting test in Hindi (in Devnagri Script) or in English.

7. Candidates desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devnagri Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that he would take the Typewriting Test in English. The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a Language other than the one opted for by the candidates.

8. The syllabus for the written examination will be shown in the schedule to this Appendix.

9. Candidates must write the Papers in their own hand. In no circumstances they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

10. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDED IN PART-I WRITTEN EXAMINATION.

Syllabus

1. *General Intelligence* : The questions in this test will be based on understanding instructions, determining relationships, similarities, relevance, drawing conclusions and similar intellectual functions.

2. *English Language* : Questions in this test will be set to assess the knowledge of English language, its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, etc. There will also be a question on comprehension of a passage.

3. *Numerical Aptitude* : Questions in this test will be aimed at knowing ability with numerical calculations. It will comprise of questions on basic arithmetical concepts such as addition substraction, division, multiplication, percentage, etc.

4. *Clerical Aptitude* : This is designed to test candidate's perceptual accuracy and aptitude. This is the ability to notice similarities and differences between pairs of names and numbers. Questions in clerical aptitude will also assess in addition to perceptual accuracy and aptitude, ability to handle office routine work like filing, abbreviating, indexing etc.

APPENDIX-II

Brief particulars relating to services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *CENTRAL SECRETARIAT CLERICAL SERVICE* :

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade 'D' Stenographers' Examination after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 50 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointed to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE* :

The Service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Services Rules, 1970 which are on lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf, permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination of the Railway Board.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service held by the Ministry of Railways after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to the transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under those rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits and

(ii) shall subscribe to the non-contributory state Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

8. The staff empolyed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and privelege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

9. As regards leave and other conditions of service, Staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. *INDIAN FOREIGN SERVICE (B) GRADE VI* :

The scale of pay : Rs. 260-6-290-EB-6-326-EB-8-390-10-400.

Officers appointed to Grade VI of the Indin Foreign Service (B) are eligible for promotion to Grade V in the pay scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 on completion of eight years of service in the grade.

2. Officers of Grade V of the Indin Foreign Service (B) will in turn be eligible for appointment to Grade IV of the Service in the pay scale of Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 on completion of five years of service in the grade.

3. Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for promotion to Grade III of Stenographers' sub-cadre of the Service in the pay scale of Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560 on completion of required number of years of service in the grade, on the basis of a Limited Departmental Examination.

4. Such officers of Grade VI, who are graduates, will be eligible for appointment to the Grade of Assistant in the sub-Cadre of IFS (B) in the pay scale of Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700-EB-25-800 on completion of required number of years of service in the grade through a Limited Departmental Examination.

5. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

6. During service abroad IFS (B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961, as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme;

(iii) Return air passage to India and back to the place of duty abroad upto a maximum of two throughout the officer's service for emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government;

(iv) Annual return air passage for children between the age of 6 and 22 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowance—Rs. 1,750/- per posting abroad;

(vii) Home leave passage or officers and their families in accordance with the prescribed rules.

7. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the service will be governed by the relevant provisions of the Indian Foreign Service (B) (Recruitment Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. *ARMED FORCES HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE* :

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.

LOWER Division Grade—Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from amongst Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in the Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service, will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in India/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service will be same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. *DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS* :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Department is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

Candidates appointed to the service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

F. *INDO-TIBETAN BORDER POLICE* :

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Indo-Tibetan Border Police is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

Candidates appointed to these posts on the basis of results of this examination will be on probation for a period of two years.

G. *CENTRAL VIGILANCE COMMISSION AND ELECTION COMMISSION* :

1. The scale of pay for the Lower Division Clerk in the Commission is Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.

2. The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission and the Election Commission are not included in the CSCS.

3. The persons appointed will be on probation for a period of two years.

4. They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerks after putting in five years service in the case of Central Vigilance Commission and eight years service in the case of Election Commission.

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd April 1986

RESOLUTION

No. CP/9(7)/86/D.P.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for Carbon & Graphite Products Industries with the following composition for a period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri N. Biswas
Dy. Director General
DGTD, New Delhi-11.

Members

2. Shri G. A. Maniar
M/s. Graphite India Ltd.
31, Chowringhee Road,
Calcutta-700016.

3. Shri P. C. Goenka
M/s. Assam Carbon Products Ltd.,
Brikuchi, Gauhati,
Assam.

4. Shri K. Ramachandran,
M/s. Indian Aluminium Co. Ltd.
6, Middletone Street,
Calcutta-700071.

5. Shri R. R. Shastri,
M/s. Indian Oil Corpn. Ltd.,
252, Dr. Anne Basant Road,
Prabha Devi, Bombay-400025.

6. Shri R. G. Ramgharia
M/s. Petro Carbon & Chemicals
Co. Ltd.,
27 R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700001.

7. Shri N. Shrinivasan
M/s. Union Carbide India Ltd.,
1, Middletone Street,
Calcutta-700071.

8. Shri P. Obul Reddy
M/s. Indo Matsushita Carbon.
Co. Ltd.,
609 Mount Road,
Madras-600006.

9. Shri O. S. Chowdhuri
M/s Hindustan Aluminium
Corporation Ltd.,
P.O. Renukoot,
Mirzapur (U.P.).

10. Shri S. K. Chakravarty
Director
D.C.S.S.I.
Nirman Bhavan, New Delhi.

11. Shri M. V. S. Prakasa Rao
Secretary,
All India Graphite Crucibles
Manufacturer's Association,
Rajahmundry.
Andhra Pradesh.

12. Shri Keshav Chandra,
Bhabha Atomic Research Centre,
Bombay.

13. Shri R. L. Seth/Dr. O. P. Bahl
National Physical Laboratory,
Hillside Road, New Delhi-110012.

14. Shri Ravi Jhunjhunwala
40-41 Community Centre,
New Friends Colony, New Delhi-110065.

15. Shri B. Himmatsingka,
M/s. India Carbon Ltd.,
Noonmati, Gauhati,
Assam.

Member-Secretary

16. Shri M. S. Grover,
Industrial Adviser (Chem.)
DGTD, Udyog Bhavan,
New Delhi.

2. Terms of reference of the Panel would be as under :—

1. To consider the present stage of development of the industry and to recommend measures for its accelarated growth.

2. To study the state-wise/region-wise requirement of various items of the industry and make suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs.

3. Forecasting of future technological needs including upgradation of technology and quality of products.

4. To augment research and development facilities in the field available in various institutions.

5. To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the ISI.

6. To consider the requirements of machinery etc. both indigenous and imported.

7. To consider the requirements of raw materials and energy inputs including their conservation/substitution.

8. Modernisation of existing units.

9. Import substitution/export promotion.

10. Technical manpower requirements and their training.

11. Any other relavent matter.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 25th April 1986

RESOLUTION

No. IMY/72(21)/86/2051/2257.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for pump Industry as per the composition given in Annexure I for a period of two years from 17th December, 1985.

The terms of reference of the Panel are given in Annexure II.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. C. GANJWAL, Director (Administration)

Annexure-I

Composition of the Development Panel Reconstituted for Power Driven Pump Industry.

Chairman

1. Shri R. N. Basu
Dy. Director General,
DGTD.

Members

2. Dy. Director (Mechanical Engineering) Office of DC(SSI),
Nirman Bhavan,
New Delhi.

3. Director (Mechanical Engg)—
Indina Standards Institution,
Manak Bhavan,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-110002.

4. Representative of the Dept. of Science & Technology
Dept. of Scientific & Industrial Research,
Technology Bhavan, New Mehrauli Road,
New Delhi-110016.

5. Representative of Nuclear Power Board, Dept. of Atomic Energy.
Homi Bhaba Marg,
Colaba, Bombay-400005.

6. Representative of M/s.
National Thermal Power Corpn.
Corporate Office,
62-69, NTPC Sqr.,
Nehru Place,
New Delhi-110019.

7. Shri S. D. Shah,
Senior Specialist (Pumps).
M/s. Engineers India Ltd.,
Bhikaji Cama Place,
R. K. Puram, New Delhi.

8. Shri C. V. Saha,
Director (Marketing)
M/s. K. S. B. Pumps Ltd., Pimpri,
Pune-411018.

9. Shri A. K. Palit,
Manager (Marketing)
M/s. Worthington Pumps India Ltd.,
Calcutta.

10. Shri K. Mubayi,
General Manager,
M/s. Mather & Platt Ltd., Bombay,
Udyog Bhavan, 29, Wallchand
Hira Chand Marg.

11. Shri R. Ramachandran,
Driector,
M/s. Texmo Industries,
Coimbatore.

12. Shri V. M. Hardikar,
M/s. Kirloskars Brothers Ltd.,
Kirloskar Wadi.

13. Shri S. K. Sinha,
Manager,
M/s. Bharat Pumps & Compressors Ltd.
Naini,
Allahabad, U.P.

14. M/s. Vijay Bhankar,
M/s. Bhankar Brothers & Co.,
Pvt Ltd., Bombay.

15. Shri A. R. Bhirangi,
Director (Technical)
M/s. Rohini Engineers &
Founders,
Miraj, Maharashtra.

16. Shri J. Gowrishanker,
M/s. Best Engineers,
Coimbatore.

17. Shri D. K. Arora,
Manager (R&D),
M/s. Jyoti Ltd.,
Baroda.

18. President,
Indian Pump Manufacturers
Association,
105, Kakad Chambers,
1st floor,
132, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Bombay-400018.

19. Chairman,
Technical Committee.
Indian Pump Manufacturers,
Association.

20. Chirman,
Export Committee,
Indian Pump Manufacturers,
Association.

21. President
U.P. Small Pump
Manufacturers Association,
Ghaziabad, U.P.

Member-Secretary

22. Development Officer (Engg)
DGTD.

Annexure-2

The terms of reference of the Development Panel reconstituted would be as follows :—

(i) To consider the present stage of development and future prospect of the industry and to recommend measures for its accelerated growth.

(ii) To evaluate the present level of technology for pumps for different applications and to forecast future technological needs, specially in respect of reliability, operating efficiency, energy consumption and improved productivity.

(iii) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programme for further rationalisation of pump sizes and components, in consultation with the major users and the ISI.

(iv) To recommend measures for collecting and collating statistics on past and current imports in sufficient detail, so that this can be used for future development of the industry.

(v) To evaluate and recommend specific areas of research, design and development.

(vi) Any other aspects related to the growth of the industry.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 16th May 1986

RESOLUTION

No. 26012-(1)/85-FY(S).—In partial modification of the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) Resolution No. 26011/1/77-FY(T-1) dated the 24th July, 1978, as amended from time to time, it has been decided to include the Minister of State (Agriculture & Cooperation) as Vice-Chairman of the Central Board of Fisheries of the Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture with immediate effect.

B. C. SARMA, Jt. Secy

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 8th May 1986

No. F.2-6/86-CH-6.—Under Rule 3(vii) of the Rules and Regulations of the Nehru Memorial Museum and Library Society, New Delhi, the Government of India has nominated Shri H. Y. Sharada Prasad, Information Adviser to the Prime Minister as a member of the Nehru Memorial Museum and Library Society, in place of Prof. S. Dhawan, resigned.

MAN MOHAN SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1986